संख्या:498 /I/2004-05/41/04

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 09 फरवरी, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में डी0पी0आर0 बनाने एवं विस्तृत सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, (लजविप) उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, देहरादून के पत्र संख्या 922/म0प्र0/स0ज0वि0प0/शासन, दिनांक 27.11.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 सहायतित परियोजनाओं की डी0पी0आर0 बनाने एवं विस्तृत सर्वेक्षण हेतु आई0आई0टी0, रुड़की के डब्लू0आर0डी0टी0सी0 विभाग द्वारा विशेषज्ञ सेवाओं के भुगतान हेतु रु0 204.75 लाख (रु0 दो करोड़ चार लाख पिछत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने के लिये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– ए0डी0बी0 की सहायता से प्रस्तावित उत्तरांचल पावर सेक्टर परियोजना के सम्बन्ध में उक्त धनराशि निम्नांकित जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने हेतु भुगतान की जायेगी:–

क्रमांक	परियोजना का नाम	क्षमता (कि0वा0)	जिला	धनराशि(ला0रु0में)
01	कालीगंगा–प्रथम	4600	रुद्रप्रयाग	28.00
02	कालीगंगा–द्वितीय	6000	रुद्रप्रयाग	32.50
03	मध्यमहेश्वर	5600	रुद्रप्रयाग	31.50
04	तान्कुल	7800	पिथौरागढ	37.50
05	भिलंगना–द्वितीय	4500	टिहरी	27.75
06	कालदीगाड़	6000	उत्तरकाशी	47.50
			योगः–	204.75

2– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु जो भी धनराशि व्यय होगी, उसे परियोजना की लागत में सम्मिलित किया जायेगा। इसी प्रकार परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नियोजन में व्यय की गई धनराशि को भी परियोजना लागत में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार व्यय की गई समस्त धनराशि को बाद में राज्य सरकार को वापस किया जायेगा। इस हेतु धनराशि का समयबद्ध विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

3– उक्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर नयी परियोजनाओं का अनुसंधान एवं नियोजन मद में शासन द्वारा यूजेवीएनएल को उपलब्ध कराई गई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी तथा अब तक यदि कोई धनराशि व्यय की गई हो तो उसे यथोचित स्थानान्तरण से समायोजित किया जायेगा। साथ ही इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के अपर सचिव, ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जायेगी।

2

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरित करने के लिये बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही प्रत्येक परियोजना के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

6- परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार कर लिये जाने के उपरान्त प्रत्येक परियोजना पर सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नियोजन सहित हुये सम्पूर्ण व्यय तथा भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण के साथ विस्तृत सूची एवं उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 2801-बिजली-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य-03-परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारी तथा रिपोर्टिंग हेतु व्यय-00-16-व्यावसायिक सेवा तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 115/वि0अनु0-3/2004, दिनांक 31 जनवरी, 2005 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या-695/1/2004-05/41/04 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
2- जिलाधिकारी, देहरादून।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
5- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7- नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
9- प्रभारी, एम0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव